

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्की, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस

सं० - 137/2025

बनवान :-

1. सहदेव पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मिर्जावालीमैर त० टिब्की।
2. अनिरुद्ध पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मिर्जावालीमैर त० टिब्की।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मिर्जावालीमैर त० टिब्की।

वादीगण


बनाम

- 1 जेठाराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी मिर्जावालीमैर त० टिब्की।
- 2 मोहरा देवी पत्नी जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मिर्जावालीमैर त० टिब्की।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्की के समक्ष वकील वादी श्री संजय कुमार शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री जयनारायण शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक न० 1 एमजेडडब्ल्यूएसएम के खाता सं० 8/16 की कुल 4.1870 है० में 1/3 हिस्सा व चक 11 एजी के खाता सं० 22/20 की कुल 5.7050 है० में 1/3 हिस्सा व चक 1 एमजेडडब्ल्यू के खाता सं० 22/23 की कुल 2.6560 है० में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 जेठाराम का नाम कलमजबन किया जाकर वादीगण सं० 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्की जिला हनुमानगढ़  
R.A.S